न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/000310 (242/2018)

कुरड़ाराम पुत्र सुरजाराम जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. श्योकरण पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर हाल आबाद चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. भानीराम
3. साधुराम
4. मोहनलाल
5. पोकरराम

पि0 केसराराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. बनवारीलाल
7. बाबूलाल
8. मंगतुराम
9. किशनलाल
10. सोहनलाल
11. बालचंद

पि0 टीकूराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

12. शारदा पत्नी लालचंद जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. अंजू देवी पत्नी रामप्रताप जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. सरस्वती पत्नी आत्माराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. गुडी देवी पत्नी सोहन लाल जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. हरीश कुमार पुत्र बुलाकीराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. लिछमा देवी पीथाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. माया पत्नी शेराराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तह0 नोहर, जिला हनुमानगढ

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2017

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 53/2013

अनवान कुरड़ाराम बनाम सरकार

श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय सिह कड़ावासरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 19

निर्णय दिनांक 25.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि प. नं. 340/429 (35) के किला नं. 20 की .253 है0 भूमि वाके रोही मोज चक 23 एनटीआर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण 24 ता 31 क`पिता ससुर दादा रामुराम पुत्र बींझाराम के कब्जा काश्त की है। रामूराम के फौत होने के बाद उसके पुत्रगण को आपसी बंटवारा में मिली होने के कारण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार हो चुके हैं तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

प्रतिवादीगण का मुश्तरका खाता में दर्ज हो चुकी है। इसलिए प्रतिवादीगण सं0 1 से 22 का नाम कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 22 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा न करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मृतकों के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है क्यों कि दरख्वास्त में गैर सायल मदनलाल, आशाराम, महावीर प्रसाद, वरवक्त निर्णय फौत हो चुके थे। इस निर्णय से पूर्व भी मातहत अदालत में इसी भूमि का वाद रेस्पोडेण्ट सं0 1 के परिवार के सदस्यों ने पेश किया था जो खारिज हो गया। इसके बाद अपीलांट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 19 को परेशान करने की नियत से यह दूसरा वाद पेश किया गया है जो कानून सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेशकर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण 24 ता 31 के पिता ससुर दादा रामुराम पुत्र बींझाराम के कब्जा काश्त की है। रामूराम के फौत होने के बाद उसके पुत्रगण को आपसी बंटवारा में मिली होने के कारण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार हो चुके हैं। प्रतिवादीगण का मुश्तरका खाता में दर्ज हो चुकी है। इसलिए प्रतिवादीगण सं0 1 से 22 का नाम कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 22 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा न करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1965 पेज 120, आरआरडी 1993 पेज 178, आरआरडी 1991 पेज 1 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें अपालाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा गया था जो स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष के मध्य वाद भूमि के हकों का निधारण मूल वाद में तय होना है और मूल वाद अभी विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए एवं प्रश्नगत भूमि पर उभयपक्ष को अधिकारों के सुरक्षित रखने के लिए, उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़